



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275588
CG-DL-E-19082026-275588

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4413]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948

No. 4413]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2026

का.आ. 4593(अ) .— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1834 (अ.) तारीख 8 अप्रैल, 2026, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 10 अप्रैल, 2026, में प्रकाशित की गई थी, } द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल राज्य में एल पी जी परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड } द्वारा हाल्दिया से पानागढ़ पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 17 अप्रैल, 2026 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) } द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) } द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ;

अनुसूची

जिला: हूगली								
राज्य: पश्चिम बंगाल								
क्रम संख्या	पोलिस स्टेशन	ब्लॉक	मौजा का नाम एवं जे.एल नंबर	नक्शा प्रकाशन प्रकार	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल		
						हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गोघाट	गोघाट-1	गोयालपाड़ा-195	LRS	17/1808	00	14	70
					17/1807	00	05	10
2	गोघाट	गोघाट-1	शुनिया-119	LRS	1566/1704	00	06	95
3	गोघाट	गोघाट-1	गोघाट-96	LRS	3437/5271	00	00	47
					3302/5200	00	00	71
4	गोघाट	गोघाट-1	बुंइत्या-94	LRS	189/1707	00	02	40
					189/1709	00	01	14
5	गोघाट	गोघाट-1	भाबादिघी-76	LRS	587	00	00	32
					582	00	00	25
					1459/1618	00	01	56
					661/1547	00	00	26
					580/1538	00	01	13
6	गोघाट	गोघाट-1	गोलपुर-75	LRS	2018/3149	00	00	95
					1585/3145	00	00	26
7	गोघाट	गोघाट-2	बेंगाइ-42	R	7862	00	00	16
					7864	00	00	37
					7836	00	00	52
					7456	00	00	22
					7346	00	00	16
					6766	00	00	34

					6763	00	00	40
					840	00	00	26
					730	00	00	33
					619	00	00	27
					164	00	00	39
					40	00	00	29
				LRS	6393/8327	00	00	23
					7267/8534	00	04	68
8	गोघाट	गोघाट-2	शालझाड़-41	LRS	1486	00	00	27
					1303	00	00	40
					1306	00	00	60
9	गोघाट	गोघाट-2	आगाइ-4	R	1727	00	00	79
					1721	00	00	15
					1761	00	00	28
				LRS	1766/2571	00	00	5
					1726/2491	00	01	96
					1726/2492	00	00	80
					1726/2569	00	00	80
					1762/2570	00	00	15
10	गोघाट	गोघाट-2	खाटुल-3	LRS	2041/3007	00	00	50
					2036/3055	00	07	25
					2034/2873	00	00	45
11	गोघाट	गोघाट-2	गोटाइ-2	R	1620	00	00	40
					1484	00	00	18
					1471	00	00	28
					207	00	00	10
					205	00	01	20
					206	00	00	26
				LRS	1620/1767	00	00	14
					1619/1814	00	02	89
12	गोघाट	गोघाट-2	सामन्तखण्ड-1	R	1612	00	00	38
					1531	00	00	16
					1220	00	00	13

[फा. सं. आर-12030/2/2022-ओआर-1/ई-44834]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th August 2026

S.O. 4593(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O.1834(E) dated the 8th April, 2026, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 10th April, 2026, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of LPG from Haldia to Panagarh Pipeline in the State of West Bengal by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public on the 17th April, 2026;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying this pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of this declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District: Hooghly						State: West Bengal		
Sl. No.	Police Station	Block	Mouza & J.L No.	Map Publication Type	Plot No.	Area		
						Hect	Are	Sq. Mtr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Goghat	Goghat-I	Goalpara-195	LRSB	17/1808	00	14	70
					17/1807	00	05	10
2	Goghat	Goghat-I	Sunia-119	LRSB	1566/1704	00	06	95
3	Goghat	Goghat-I	Goghat-96	LRSB	3437/5271	00	00	47
					3302/5200	00	00	71
4	Goghat	Goghat-I	Buintya-94	LRSB	189/1707	00	02	40
					189/1709	00	01	14
5	Goghat	Goghat-I	Bhabadighi-76	LRSB	587	00	00	32

					582	00	00	25
					1459/1618	00	01	56
					661/1547	00	00	26
					580/1538	00	01	13
6	Goghat	Goghat-I	Golpur-75	LRSM	2018/3149	00	00	95
					1585/3145	00	00	26
7	Goghat	Goghat-II	Bengai-42	RSM	7862	00	00	16
					7864	00	00	37
					7836	00	00	52
					7456	00	00	22
					7346	00	00	16
					6766	00	00	34
					6763	00	00	40
					840	00	00	26
					730	00	00	33
					619	00	00	27
					164	00	00	39
					40	00	00	29
				LRSM	6393/8327	00	00	23
					7267/8534	00	04	68
8	Goghat	Goghat-II	Saljhar-41	LRSM	1486	00	00	27
					1303	00	00	40
					1306	00	00	60
9	Goghat	Goghat-II	Agai-4	RSM	1727	00	00	79
					1721	00	00	15
					1761	00	00	28
				LRSM	1766/2571	00	00	05
					1726/2491	00	01	96
					1726/2492	00	00	80
					1726/2569	00	00	80
					1762/2570	00	00	15
10	Goghat	Goghat-II	Khatul-3	LRSM	2041/3007	00	00	50

					2036/3055	00	07	25
					2034/2873	00	00	45
11	Goghat	Goghat-II	Gotai-2	RSM	1620	00	00	40
					1484	00	00	18
					1471	00	00	28
					207	00	00	10
					205	00	01	20
					206	00	00	26
				LRS	1620/1767	00	00	14
					1619/1814	00	02	89
12	Goghat	Goghat-II	Samanta Khanda-1	RSM	1612	00	00	38
					1531	00	00	16
					1220	00	00	13

[F. No. R-12030/2/2022-OR-I/E-44834]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.